Rs.20 कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. /2015 निग 3623 II /2015

श्री विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 31-10-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-10-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राम गिरी पुत्र श्री नंदगिरी, पेशा कृषि एवं सेवा पूजा,
2. रोहित गिरी पुत्र श्री दशरथ गिरी, पेशा कृषि एवं सेवा पूजा,

समस्त निवासी ग्राम बेन्दा परगना भाण्डेर जिला दतिया (म.प्र.)

----आवेदकगण

विरूद्ध

अयोध्या गिरी उर्फ झंडु गिरी पुत्र श्री कल्याण गिरी, पुजारी मंदिर श्री रामजानकी, व मंदिर श्री महादेव जी चबूतरा स्थित ग्राम बेन्दा परगना भाण्डेर जिला दतिया (म.प्र.)

----अनावेदक

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
31-10-2015

<u>न्यायालय तहसीलदार, तहसील भाण्डेर जिला दतिया (म.प्र.) के समक्ष दिनांक 04/11/2011 से दिनांक 13/02/2012 तक लंबित नामांतरण कार्यवाहीयो का निराकण न किये जाने के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959की धारा 50 सहपठित धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण/आवेदनपत्र।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण/आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, ग्राम बेन्दा तहसील भाण्डेरा, जिला दतिया में स्थित भूमि सर्वे क्र. 49 रकबा 0.990, 458 रकबा 0.110 एवं 594 रकबा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3623 - II/15 .... जिला : दतिया ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-1-16	प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को ग्राह्यता पर तर्क सुना गया। उन्होंने तर्क में तहसीलदार, भाण्डेर को उनके न्यायालय के प्र. क्र. 15/अ-6/09-10 में जल्दी निर्णय पारित करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया और प्रस्तुत आवेदन में लिखे बिन्दुओं की पुनरावृत्ति की। प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेख का तर्क के प्रकाश में अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण वाद-भूमि, जिस पर मंदिर स्थित है, के नामान्तरण से संबंधित है। आवेदकगण का कहना है कि मन्दिर के पुजारी स्व. अयोध्या गिरी को SDO भाण्डेर के आदेश दि. 16-10-06 से भूमिस्वामी घोषित किया गया था। अयोध्या ने 22-5-10 को आवेदकगण के पक्ष में वसीयत की थी, जिसके बाद 12-7-10 को अयोध्या की मृत्यु हो गई। इस वसीयतनामे के आधार पर आवेदकगण के आवेदन पर दि. 5-11-10 को तह. के समक्ष नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। वहाँ साक्ष्य की कार्यवाही के दौरान दि. 24-1-12 को घनश्याम गिरी नामक व्यक्ति ने आपत्ति की कि आदेश दि. 16-10-06 का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। जिसके बाद दि. 13-2-12 को SDO से प्रकरण की मांग	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पत्र प्राप्त होने का लेख कर प्रकरण SDO के यहाँ भेजने का लेख है।	
	अधिवक्ता ने न्यायदृष्टांत 2000 RN 76 मान. उच्च न्या. शहीद अनवर वि. रा. मण्डल एवं अन्य का हवाला देते हुए कहा कि पुनर्विलोकन की अनुमति दूसरे पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बगैर नहीं दी जा सकती। इस आधार उन्होंने कहा कि यदि SDO को पुनर्विलोकन की अनुमति मिली थी, तो ऐसी अनुमति बगैर अयोध्या गिरी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए मिल जाना गलत था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकाश में SDO का पुनर्विलोकन प्रकरण, यदि हो तो, खारिज किया जाना चाहिए और तहसीलदार को वसीयत के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में शीघ्र आदेश पारित करने हेतु निर्देश देना चाहिए।	
	उपरोक्त के प्रकाश में मैंने प्रकरण में गम्भीरता से विचार किया। विचारोपरान्त मैं यह प्रकरण कलेक्टर दतिया को यह निर्देश देते हुए समाप्त करता हूँ कि वे यह देखें ⊙ कि प्रकरण में पुनर्विलोकन एवं/अथवा विचारण, दोनों स्तरों पर, जैसा लागू हो, विधि अनुसार, आवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए यथाशीघ्र निर्णय पारित होंगी कि बोलते स्वरूप के होंगे।	
⊙ एवं सुनिश्चित करें		

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3623-II/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर दतिया को उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है। आदेश पारित। आवेदकगण एवं कलेक्टर दतिया सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। 8-1-16 (सदस्य)	